


बिहार सरकार
परिवहन विभाग


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 5778 / पटना, दिनांक 26/9/16


बिहार मोटर वाहन नियमावली के नियम, 2 एवं 68 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री बलराम प्रसाद, उप सचिव, परिवहन विभाग को सचिका में आदेश करने के पश्चात् परिवहन विभाग के पत्रों, परमिट आदि को हस्तक्षारित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ। इसकी प्रति सभी संबंधितों को दी जाय।


(राम किशोर मिश्र)
राज्य परिवहन आयुक्त

ज्ञापांक 5778 / पटना, दिनांक 26/9/16
प्रतिलिपि - सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


राज्य परिवहन आयुक्त

ज्ञापांक 5778 / पटना, दिनांक 26/9/16
प्रतिलिपि - सभी पदाधिकारी (मु०)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


राज्य परिवहन आयुक्त

ज्ञापांक 5778 / पटना, दिनांक 26/9/16
प्रतिलिपि - माननीय मंत्री के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव, परिवहन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


राज्य परिवहन आयुक्त